

**सायबर सेल के साथ चक्रधरनगर और तमनार पुलिस की दो बड़ी कार्रवाई**

**तमनार क्षेत्र में अवैध हथियार के खरीद-फरोख्त के दो आरोपी 2 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार**

**ओडिसा और रायगढ़ में सक्रिय एक बाइक चोर चढ़ा चक्रधरनगर पुलिस के हथ्थे, आरोपी से चोरी की 4 बाइक व 4 मोबाइल जब्त**

रायगढ़। गत दिनों साइबर सेल प्रभारी को जानकारी मिली कि उड़ीसा क्षेत्र का एक आदतन बाइक चोर पिंटू महकुल उर्फ उड़िया जिसे रायगढ़ के चक्रधरनगर क्षेत्र में देखा गया है। साइबर सेल प्रभारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार को बाइक चोर के संबंध में अवगत कराया गया, जिनके निर्देशन पर थाना प्रभारी चक्रधरनगर उप निरीक्षक नंद लाल पैकरा को क्षेत्र में संदेही पिंटू महाकुल उर्फ उड़िया की पतासाजी का निर्देश दिया गया। कल शाम बोईदादर चौक में संदेही को यूनिकार्न बाइक के साथ पकड़ा गया, पूछताछ में अपना नाम पिंटू महकुल (यादव) उर्फ उड़िया वर्तमान कलमीडीया कोतरारोड़ किराया मकान तथा मूल निवास ग्राम भुक्का साल्हेपाली थाना आम्बाभोना जिला बरगढ़ उड़ीसा बताया। आरोपी से पूछताछ करने पर यह जानकारी निकलकर सामने आया कि आरोपी पिंटू महकुल रायगढ़ से चोरी की गई बाइक को ओडिसा में और उड़ीसा से बाइक चोरी कर रायगढ़ में खपा रहा है। आरोपी के पास रखे हुए यूनिकार्न बाइक के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी चक्रधरनगर थाना क्षेत्र से करीब 20-22 दिन पहले कवरकुंडा धर्मशाला से 1 नंग मोटरसाइकिल यूनिकान को एवं एक बैग चोरी किया था। बैग के अंदर एक नंग मोबाइल तथा वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एवं अन्य कागजात था जो मोबाइल सेट को निकालकर बैग और कागजात को जला दिया। अन्य चोरियों के संबंध में आरोपी पिंटू महकुल बताया कि करीब 3-4 माह पहले कमला नेहरू पार्क चक्रधरनगर चौक से 02 मोटरसाइकिल और बोईदादर चौक से 01 मोटरसाइकिल चोरी किया है और अलग-अलग दिन कमला नेहरू पार्क से 4 नंग मोबाइल सेट चोरी किया है। चोरी की 3 नंग



मोटरसाइकिल को इंदिरा विहार के पास जंगल में छुपा कर रखा है एवं मोबाइल सेट को कलमीडीया अपने किराए के मकान में रखा है। आरोपी के खुल्ले से बाद आरोपी से कुल 4 मोटरसाइकिल रायगढ़ और 4 मोबाइल बरामद किया गया है। आरोपी से जप्त यूनिकार्न बाइक और एक मोबाइल को थाना चक्रधरनगर के पंजीबद्ध अपराध में तथा शेष तीन मोटर सायकल और 03 मोबाइल के संबंध में धारा 41(1+4)CrP/379 IPC के तहत कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन तथा एडिशनल एसपी संजय महादेवा, नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी चक्रधरनगर उपनिरीक्षक नंदलाल पैकरा, प्रधान आरक्षक अरुणा चौरीसिया, राजश्री वैष्णव, आरक्षक शैलेंद्र पैकरा, अभय यादव, चंद्र कुमार बंजारे, साइबर सेल के आरक्षक नवीन शुक्ला शामिल थे।

**तमनार पुलिस ने जब्त की 2 देसी कट्टा और 2 जिंदा राउंड, दो आरोपी गिरफ्तार**

एसएसपी सदानंद कुमार को उनके विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि तमनार क्षेत्र में रहने वाला युवक आदित्य प्रधान अवैध हथियार की खरीद-फरोख्त में शामिल रहा है, जिसकी सक्रियता ओडिसा के साथ-साथ तमनार के हमीरपुर क्षेत्र में देखी गई है, आरोपी राहगिरों को हथियार दिखाकर लूटपाट, चोरी करने का आदी है। आरोपी आदित्य प्रधान क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में होने की संभावना को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर सेल प्रभारी और थाना प्रभारी तमनार को आरोपी पर विशेष निगाह रखने का निर्देश दिया गया। साइबर सेल प्रभारी एवं थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक प्रवीण मिंज आरोपी आदित्य प्रधान पर मुखबिर तैनात कर रखा गया था कि आज सुबह थाना प्रभारी तमनार को ग्राम केशरचूंआ के पास एक व्यक्ति को कट्टा के साथ देखे जाने की सूचना उनके मुखबिर द्वारा दिया गया। तत्काल थाना प्रभारी तमनार अपने थाने की टीम के साथ घेराबंदी कर संदेही को एक

देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस के साथ पकड़े। आरोपी अपना नाम आदित्य प्रधान पिता जीवधर्म प्रधान 24 साल गिरसिमा थाना हिमगिर जिला सुंदरगढ़ ओडिसा का होना बताया। अवैध हथियार के साथ पकड़े गए आरोपी आदित्य प्रधान से पुलिस टीम कड़ी पूछताछ करने पर उसने अपने छोटे भाई अमृत प्रधान और उसके 6-7 साथियों के साथ मिलकर ओडिसा के विभिन्न स्थानों में चोरी, डकैती, लूटपाट घटना को अंजाम देना बताया और उसके भाई अमृत प्रधान के पास भी एक कट्टा होने की जानकारी दिया। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर उसके भाई अमृत प्रधान की पतासाजी के लिए तत्काल पुलिस टीम उड़ीसा गिरसिमा रवाना हुई और आरोपी अमृत प्रधान के घर योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना आया गया है। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। दोनों आरोपियों पर तमनार पुलिस आम्स एक्ट के तहत कार्यवाही



कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। दोनों भाइयों के विरुद्ध ओडिसा के विभिन्न थानों में डकैती, लूट, मारपीट, चोरी के करीब एक दर्जन अपराध होने की जानकारी ओडिसा पुलिस से मिली है। विदित हो कि गत दिनों आरोपियों द्वारा माइनिंग एरिया से एक सिक्योरिटी गार्ड का राइफल छीन कर घटना को अंजाम दिया गया था।

**महत्वपूर्ण एवं खास**

**राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा संपन्न : 37 केंद्रों में 7028 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा**

रायगढ़। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आज 12 फरवरी को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। प्रभारी अधिकारी परीक्षा शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायगढ़ में 37 केंद्रों में परीक्षा आयोजित की गई। रायगढ़ से परीक्षा में बैठने 10397 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की गई। जिसमें प्रथम सत्र में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पेपर 1 जनरल स्टडीज की परीक्षा ली गई। वहीं दोपहर 03 से शाम 05 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा आयोजित हुई जिसमें एंटीट्यूड टेस्ट का पेपर हुआ। प्रथम सत्र में कुल 7155 परीक्षार्थी बैठे और 3242 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरे सत्र में 7028 परीक्षार्थी शामिल हुए व 3369 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

**नक्सलियों ने हितामेटा के पूर्व सरपंच की चाकू मारकर की हत्या**

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिले के बारसू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हितामेटा के पूर्व सरपंच रामधर आलमी 50 वर्ष की नक्सलियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पूर्व सरपंच पारिवारिक कार्य से ग्राम मुहमवाडा गए हुए थे, जहां नक्सलियों ने शनिवार रात को रामधर की हत्या कर शव को फेंक दिया था, ग्रामीणों ने रविवार की सुबह शव देखने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। नक्सलियों के पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी ने इस हत्या की जवाबदारी ली है। नक्सलियों ने घटना स्थल पर एक पर्चा भी फेंका है, जिस पर पूर्व सरपंच पर 2017 से पुलिस की आत्मसमर्पण योजना में सहयोग करने, गोपनीय सैनिक का काम करने, बोधघाट परियोजना में पैसा खाने का आरोप लगाया गया है। नक्सलियों ने लिखा है, कि तीन बार समझौदा के बाद भी पूर्व सरपंच जनविरोधी कार्य कर रहा था, इसलिए इसे मौत की सजा दिया जा रहा है। दंतेवाड़ा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने इसकी पुष्टि की है। उल्लेखनीय है कि नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में स्थानिय जनप्रतिनिधियों की नक्सली हत्या का सिलसिला थम नहीं रहा है। बीते पांच दिनों में नक्सलियों ने तीन जनप्रतिनिधियों की हत्या कर दी है। ताजा मामला दंतेवाड़ा जिले के बारसू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हितामेटा के पूर्व सरपंच की नक्सलियों ने हत्या कर दी है।

**उसूर मार्ग पर मिला तीन किग्रा का प्रेशर आईईडी, गश्त सर्चिंग के दौरान किया गया बरामद**

बौजापुर (आरएनएस)। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आवापल्ली उसूर मार्ग पर शिव मंदिर के पास मुख्य मार्ग से 50 मीटर की दूरी पर पगडंडी मार्ग पर 03 किग्रा का प्रेशर आईईडी बरामद किया गया है। थाना आवापल्ली और सीआरपीएफ 196 सीतापुर कैम्प द्वारा क्रहक्क ड्यूटी के दौरान बम बरामद कर किया गया। बरामद आईईडी को जवानों द्वारा सावधानी पूर्वक डिफ्यूज कर बड़ी घटना को टालते हुए माओवादिओं के मस्कों पर पानी फेर दिया है।

**टाइगर रिजर्व में नन्हें हाथी का जन्म**

बिलासपुर (आरएनएस)। अचानकमार टाइगर रिजर्व के सिहावल सागर स्थित कैम्प में हथनी लाली ने एक नर शावक को जन्म दिया है। इस नन्हे मेहमान के आने से कैम्प में हाथियों का कुनवा बढ़कर चार हो गया है। नर शावक पूरी तरह स्वस्थ है और चिकित्सकों के द्वारा उसकी जांच की जा रही है। सिहावल सागर अचानकमार रेंज के अंतर्गत आता है। यही हाथियों का एक कैम्प बनाया गया है। शावक राजू हाथी व लाली की संतान है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन को जिस दिन लाली के गर्भ से होने की जानकारी मिली थी, उसके बाद से ही प्रबंधन के द्वारा बेहतर आहार व जरूरी चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। इसके अलावा हाथियों की देखभाल करने वाले महावत को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि हर दिन हथनी की गतिविधियों की जानकारी



अधिकारियों को उपलब्ध कराए। इसी के तहत महावत ने दो दिन पहले लाली को प्रसव पीड़ा होने की जानकारी दी। जिसके बाद टाइगर रिजर्व के अधिकारी व चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची। थोड़ी ही देर बाद लाली ने इस नर शावक को जन्म दिया। चिकित्सकों के अनुसार वह पूरी तरह स्वस्थ है और पूरे समय अपनी मां लाली के साथ ही रहता है।

**रेलवे लाईन की सम्पत्ति को निशाना बना रहे 4 सक्रिय चोर गिरफ्तार**

आरोपियों के कब्जे में 3.22 लाख रुपए के टूटके, एक पिकअप वाहन, गैस कटर मशीन व दो ऑक्सिजन सिलिण्डर जब्त

रेल पट्टी व टावर के एगल को गैस कटर मशीन से काटकर चुराया करते थे बदमाश, धरघोड़ा-छाल क्षेत्र में थे सक्रिय

रायगढ़। एसएसपी सदानंद कुमार के कुशल नेतृत्व में जिले की पुलिसिंग में कसाट देखने को मिल रही है। आज धरघोड़ा पुलिस द्वारा क्षेत्र में काफी दिनों से सक्रिय 4 चोरों को पकड़ा गया है। शांति चोर लगातार रेलवे की सम्पत्ति को अपना निशाना बना रहे थे। आरोपियों के कब्जे से 22 नगर रेल पट्टी के टुकड़े, पिकअप वाहन और अन्य सामग्रियां बरामद कर आरोपियों को जेल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक मेसर्स बर्फानी सेक्युरिटी एजेंसी जबलपुर के सेक्युरिटी सुपरवाइजर 09 फरवरी को थाना धरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कर थाना प्रभारी धरघोड़ा निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस के संज्ञान में लाया कि दिनांक 07.02.2023 को ग्राम



चारमार रेलवे लाईन किनारे सेक्शन में इमरजेंसी के लिए लोहे की रेल पट्टी रखी गई थी जिसके 11 नगर रेल पट्टी को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। थाना धरघोड़ा में अज्ञात आरोपी पर चोरी का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी धरघोड़ा अपने थाने के विवेचकों की टीम बनाकर क्षेत्र में सक्रिय मुखबिरों से जानकारी लेकर संदिग्धों की धरपकड़ शुरू की गई। आज जब ग्राम बैहामुड़ा पहुंच कर धरघोड़ा पुलिस संदेही लक्ष्मीनारायण सारथी के सकुन्त पर दबिश दिया तो संदेही पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे आरक्षकों ने दौड़ा कर पकड़े और चोरियों के संबंध में पूछताछ किया। संदेही लक्ष्मीनारायण सारथी अपने अन्य साथी मोह. फिरोज, सूरज चैहान, भानु यादव,

**दुष्कर्म के आरोपी को ओडिसा से गिरफ्तार कर लाई पुसौर पुलिस**

पीडित महिला ने थाने में दर्ज कराई थी आरोपी द्वारा घर घुसकर दुष्कर्म की रिपोर्ट

24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर पेश किया गया न्यायालय

रायगढ़। थाना पुसौर में गत 11 फरवरी को थाना क्षेत्र की एक महिला ने आकर गांव के छोटे भोग मालाकार उर्फ कृष्ण कुमार पटेल (32 साल) द्वारा रात्रि जबरन घर में प्रवेश कर बलपूर्वक कमरे में दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया। पीड़िता बताई की घटना अपने सगे संबंधी, पड़ोसियों को बताई है। आरोपी घटना के बाद से

गांव से भाग गया है। मामले में थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम द्वारा आरोपी पर दुष्कर्म की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर संवेदनशील रायगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार, एडिशनल एसपी रायगढ़ संजय महादेवा तथा नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव उपाध्याय को अवगत कराया गया जिनके दिशा निर्देशन पर थाने से

यदव, सूरज चैहान को हिरासत में लेकर थाना धरघोड़ा लाया। आरोपियों के कब्जे से रेल पट्टी टुकड़ा कुल 22 नगर कीमती-3,26,323 रुपये, चोरी में प्रयुक्त महिन्द्रा पिकप क्र. सी.जी.-13-एल-3273, एक गैस कटर मशीन सेट, दो नग ऑक्सिजन गैस सिलिण्डर जप्त कर आरोपियों को चोरी के अपराधों में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह बैस, एसआई एडमोंड खेस, एसआई राजेश कुमार मिश्रा, प्रधान आरक्षक उदय सिंह, आरक्षक उधो पटेल, खगेश्वर नेताम, वीरबल भगत शामिल रहे।

गिरफ्तार आरोपी - (1) लक्ष्मीनारायण सारथी पिता गुलाबराम सारथी उम्र 37 वर्ष सा. बैहामुड़ा, थाना धरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) (2) मोह. फिरोज पिता मोह. इदरस उम्र 42 वर्ष सा. तराईमाल थाना पूंजीपथरा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) (3) सूरज चैहान पिता मंगलसिंह चैहान उम्र 25 वर्ष सा. बैहामुड़ा थाना धरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) (4) भानु प्रसाद यादव पिता वीरबल यादव उम्र 30 वर्ष सा. ग्राम लाखा थाना सिटी कोतवाली रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

**यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाने ट्रैक्टर ड्राइवर और मालिकों की ली गई बैठक**

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार द्वारा जिला मुख्यालय में सुरक्षित एवं सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के यातायात पुलिस को दिये गये निर्देशों पर आज उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायगढ़ सुशांतो बनर्जी द्वारा शहर में संचालित ट्रैक्टर ड्राइवर एवं मालिकों के साथ बैठक किया गया। बैठक में डीएसपी ट्राफिक ने शहर अंदर बरेकोटोक परिवहन एवं अनावश्यक व अवैध पार्किंग को लेकर चर्चा किया गया एवं उपस्थित सभी ट्रैक्टर संचालकों के राय से शहर में रात्रि 10:00 से प्रातः 10:00 बजे तक और दोपहर 2:00 से शाम 4:00 बजे तक परिवहन प्रवेश की सहमति बनी। जल्द ही यातायात पुलिस इसे पूर्ण रूप से पारित करने जिला दंडाधिकारी महोदय के समक्ष



प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही जिला मुख्यालय के अन्य चिन्हित मार्गों में बाईपास हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया। बैठक में ट्रैक्टर संचालकों से अपील किया गया कि वैध ड्राइविंग लाइसेंसधारी चालकों को से ही वाहन चालन करावे अन्यथा विधिवत चालानी कार्यवाही की जावेगी निर्देशित किया गया। नाबालिकों को किसी भी स्थिति में वाहन चालन हेतु प्रेरित ना किया जाए और न ही चलावाया जाए। निकट भविष्य में यातायात व्यवस्था के कारकों में बस एवं पीकप संचालकों का भी समीक्षा बैठक आयोजित किया जावेगा।

**नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के राजीनामा के आधार पर हुआ प्रकरणों का निपटारा**

रायगढ़। नेशनल लोक अदालत, जो इस बार विशेष हाईब्रीड लोक अदालत के रूप में बच्चेअल एवं फिजिकल दोनों माध्यमों से जिला न्यायालय रायगढ़ सहित तहसील न्यायालय सारंगढ़, धरघोड़ा, धरमजयगढ़ एवं खरसिया में आयोजित किया गया। जिला एवं तहसील न्यायालयों को मिलाकर कुल 23 खण्डपीठों का गठन किया गया। श्रम न्यायालय एवं किशोर न्याय बोर्ड का भी खण्डपीठ गठन किया गया। रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलासपुर के राजस्व न्यायालयों में भी खण्डपीठों का गठन किया गया। जिला एवं तहसील न्यायालयों में विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य मामले

जैसे-मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक वसूली के प्रकरण, आपराधिक मामले, विद्युत मामले, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, चेक अनादरण सिविल मामले के साथ-साथ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामले, जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल करते हुए खण्डपीठों में लंबित प्रकरण 2243 एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरण 12801 को राजीनामा के आधार पर निराकरण हेतु लोक अदालत में रखा गया। रखे गये कुल 15044 प्रकरणों में से लंबित 1590 एवं प्रीलिटिगेशन 4011 प्रकरण निराकृत हुये। इस प्रकार कुल 6051 प्रकरणों का निराकरण, जिला

न्यायालय, परिवार न्यायालय, श्रम सारंगढ़, धरघोड़ा, धरमजयगढ़ एवं न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड, रायगढ़ खरसिया न्यायालय में राजीनामा के आधार पर किया गया और उन प्रकरणों



के अंतर्गत कुल 2 करोड़ 61 लाख 81 हजार 312 रुपये का सेटलमेंट हुआ। राजस्व न्यायालयों में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे के मामले, कल्याण एवं सेवा समिति, रायगढ़ के द्वारा लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों के लिये निःशुल्क बस सेवा सुविधा उपलब्ध कराई गई। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा दानपत्र/बसीयतनामा के आधार पर जिला नामान्तरण के मामले एवं शेष अन्य प्रकृति के कुल 3798 मामले रखे गये जिनमें से 3760 मामलों का निराकरण आज की लोक अदालत में किया गया।

रायगढ़ एवं तहसील स्थित व्यवहार न्यायालय एवं तहसील स्थित व्यवहार न्यायालयों की गठित खण्डपीठ द्वारा किया गया। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा हेतु न्यायालय में आने वाले पक्षकारों के लिये न्यायालय परिसर में पीने के पानी की व्यवस्था की गई समग्र यात्री जन वारिस्तों के मध्य बंटवारे के मामले, कल्याण एवं सेवा समिति, रायगढ़ के द्वारा लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों के लिये निःशुल्क बस सेवा सुविधा उपलब्ध कराई गई। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा दानपत्र/बसीयतनामा के आधार पर जिला नामान्तरण के मामले एवं शेष अन्य प्रकृति के कुल 3798 मामले रखे गये जिनमें से 3760 मामलों का निराकरण आज की लोक अदालत में किया गया।